

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति सुनिता यादव, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 432 / 2022

उनवान

- 1-4 बंदीलाल, भोलू, माधु, रामेश्वर पिता मिश्रीलाल जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा
- 5- अलोल पत्नी रामस्वरूप जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा
- 6-8 भैरूलाल, मैना, सन्जू पिता रामस्वरूप जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- मांगू पिता रघुनाथ जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा
- 2-3 भंवर, महावीर पिता धन्ना जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा
- 4- रामकुंवार पिता लक्ष्मण जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा
- 5- बंदीलाल पिता उदा जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अनिल कुमार शर्मा  
अधिबक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 09.01.2023

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं - ग्राम चलानिया पटवार हल्का लुलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1125 रकबा 0.21 है०, 1728/56 रकबा 0.59 है०, 1729/1128 रकबा 0.06 है०, 55 रकबा 0.13 है०, 65 रकबा 0.18 है०, 66 रकबा 0.38 है० कुल किता 6 रकबा 1.55 हैक्टेयर की प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।


प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम चलानिया पटवार हल्का लुलास संवत् 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा चलानिया में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 6 रकबा 1.55 हैक्टेयर की पुरख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्ताक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 600/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

  
(सुनिता यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा